तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज फतेहसिंह बनाम राज० सरकार वगै०
24/02/25	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी उपस्थित। पत्रावली के अभिभाषक वादी की पुनः बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 25/02/25 को पेश हो। Shanti
25/02/25	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 5/3/25 को पेश हो।
5/3/25	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी उपस्थित। वादपत्र वादी डिक्री किया जाता है। पर्ची डिक्री जारी हो। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली है। पत्रावली फैसला शुमार हो नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। Shanti उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी:— सुश्री भारती गुप्ता (आर.ए.एस)
वाद पत्र कमांक:— 17 / 2024

फतेहसिंह पुत्र फूसियाराम उर्फ शिवचरन जाति खटीक निवासी दौतलगढ तहसील उच्चैन भरतपुर राज0।
...................वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील उच्चैन भरतपुर।

............असल प्रतिवादी

2. उर्मिला देवी पुत्री पाहुप सिंह
3. गोपाल पुत्र रामजीलाल
4. चन्द्रकान्ता पुत्री रमेश चन्द
5. नवीन पुत्र रमेश चन्द
6. प्रभा कुमारी पत्नि स्व0 पाहुप सिंह
7. प्रेमशंकर पुत्र बाबूलाल
8. पवन पुत्र रोशनलाल
9. मधूसूदनसिंह पुत्र पाहुप सिंह
10. मुन्नी पुत्री शिवचरन
11. मनीष पुत्र स्व0 रमेश
12. महेन्द्रपाल पुत्र पाहुप सिंह
13. महेशचन्द पुत्र फूसिया राम उर्फ शिवचरन
14. महारानी पत्नि स्व0 फूसिया राम उर्फ शिवचरन
15. रतनसिंह पुत्र रामजीलाल
16. रेनू पुत्री बाबूलाल
17. रूपो पुत्री शिवचरन उर्फ फूसियाराम
18. राजेश पुत्र बाबूलाल
19. रामवती पुत्री रामजीलाल
20. विजय मोहन पुत्र फूसियाराम उर्फ शिवचरन
21. बीना पत्नि स्व रमेश चन्द
22. सुभाष चन्द पुत्र रोशनलाल
23. हरदेई पत्नि बाबूलाल   समस्त जातियान खटीक निवासी दौलतगढ, उच्चैन।
24. लोकेन्द्र
25. किशोर पुत्रान तेजसिंह

Bharti
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

26. गीता पुत्री तेजसिंह
27. प्रेम पत्नि तेजसिंह समस्त जातियान जाट निवासी दौलतगढ़, उच्चैन।

..............तरतीवी प्रतिवादीगण

दावा अर्न्तगत धारा 88,89 आर.टी.ए.

उपस्थिति

1. श्री मुकेश चन्द शर्मा एडवोकेट

निर्णय   दिनांकः—05.03.2025

वादी ने यह वाद पत्र जरिये अधिवक्ता राजस्थान कारतकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,89 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1095/0.45, 29/0.14, 294/1.48, 465/0.76, 66/0.29, 671/0.44, 691/0.09, 112/0.57, 128/0.04, 143/0.04है0 वाके ग्राम दौलतगढ तहसील उच्चैन में स्थित है। उक्त विवादित आराजी में वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण मुताबिक राजस्व रिकार्ड के खातेदार काश्तकार व काविज आराजी है। उक्त आराजी वादी एवं तरतीवी प्रतिवादी संख्या 4 लगा0 6 व 9 लगा0 14 तथा 2,20,21 को अपने पूर्वज फूसियाराम उर्फ शिवचरन से प्राप्त हुई है। वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण के पूर्वज को शिवचरन व फूसियाराम दोनो ही नाम से गांव में जाना जाता था जिसके कारण राजस्व कर्मचारियों ने राजस्व रिकार्ड खाता 191,195 व 196 में शिवचरन दर्ज कर दिया था तथा खाता संख्या 114 में सही नाम फूसियाराम दर्ज है एवं अन्य दस्तावेजों एवं शैक्षिणक दस्तावेजों में फूसिया राम दर्ज है। जव वादी को कृपि कठिनाईयों को दूर करने एवं कृषि सुधार के लिये राजस्व कर्मचारियों से राजस्व रिकार्ड की नकल को प्राप्त करने पर राजस्व रिकार्ड में पिता का नाम शिवचरन व दूसरे खाता सं0 114 में पिता का नाम फूसिया राम की जानकारी हुई है। जब वादी ने दिनांक 11.10.2021 को राजस्व रिकार्ड में पिता का नाम खाता संख्या 114 में दर्ज फूसियाराम के अनुसार ही खाता संख्या 191,195,196 में शिवचरन के स्थान पर फूसियाराम दर्ज कराने का निवेदन किया तो प्रतिवादी सं0 1 व अधीनरत राजस्व कर्मचारियों ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया जिसके कारण वादी ने यह वादपत्र इस न्यायालय में पेश किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 15.03.2022 को प्रतिवादी संख्याा 6,21,22,27 बावजूद सूचना के उप0 नहीं आने के कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। दिनांक 19.06.2024 को वादी के द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 01 स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 लगा0 27 को वादपत्र से हटाया गया। पैरोकार सरकार ने जबाव पेश कर निवेदन किया है कि जमाबंदी सम्बत् 2075—78 वाके ग्राम दौलतगढ में खाता संख्या 114 ख0न0 691/0.09 वादी फतेहसिंह का नाम फतेहसिंह पुत्र फूंसियां कौम खटीक सा0 देह खातेदार एवं प्रतिवादी सं0 13 का नाम महेशकुमार पुत्र फूंसिया एवं प्रतिवादी सं. 20 का नाम विजयमोहन पुत्र फूंसिया कौम खटीक

Bharti
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

सा0 देह खातेदार दर्ज है। जमाबंदी सम्वत् 2075–78 वाके ग्राम दौलतगढ में खाता संख्या 191 ख0न0 112/0.57, 128/0.04, 143/0.04 खाता संख्या 195 ख0न0 1065/0.25, 120/0.47, 23/0.18, 29/0.14, 294/1.48, 465/0.76, 66/0.29, 671/0.44 खाता संख्या 196 ख0न0 1095/0.45 में वादी फतेहसिंह एवं प्रतिवादी सं0 13 महेशचन्द व प्रतिवादी सं0 20 विजय मोहन के पिता का नाम शिवचरन कौम खटीक सा0 देह खातेदार दर्ज है। वादी फतेहसिंह एवं प्रतिवादी संख्या 13 महेशचन्द व प्रतिवादी संख्या 20 विजयमोहन के पिता का नाम आधार कार्ड में फूंसियाराम है। ग्राम दौलतगढ के नामान्तकरण संख्या 340 में वादी फतेहसिंह, प्रतिवादी सं. 13 महेशचन्द, प्रतिवादी सं. 20 विजयमोहन के पिता का नाम कलुआ पुत्र छितरिया कौम खटीक सा0 देह की मृत्यु के वाद विरासत में शिवचरन है अर्थात उपयुक्त वादी फतेहसिंह प्रतिवादी महेशचन्द विजयमोहन के पिता का नाम शिवचरन है। उपर्युक्त के सम्बन्ध में वादी फतेहसिंह एवं प्रतिवादी महेशचन्द विजयमोहन की जानकारी ग्राम दौलतगढ में की गई जिसमें फतेहसिंह, महेशचन्द, विजयमोहन की जानकारी ग्राम दौलतगढ में की गई जिसमें फतेहसिंह, महेशचन्द, विजयमोहन कौम खटीक निवासी दौलतगढ के पिता का नाम फूंसियाराम तथा शिवचरन दोनों होना बताया। वादी फतेहसिंह एवं प्रतिवादी महेशचन्द विजयमोहन के पिता का नाम आधार कार्ड में फूंसियाराम है एवं राजस्व रिकार्ड में खाता संख्या 114 पर भी पिता का नाम फूंसिया है, जवकि राजस्व रिकार्ड में खाता संख्या 191, 195, 196 में वादी फतेहसिंह प्रतिवादी महेशचन्द विजयमोहन के पिता का नाम शिवचरन है। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी 2075–78 में खाता संख्या 114 तथा खाता संख्या 191,195,196 में वादी फतेहसिंह प्रतिवादी महेशचन्द विजयमोहन के पिता फूंसिया व शिवचरन एक ही व्यक्ति है। वादी फतेहसिंह प्रतिवादी महेशचन्द विजयमोहन के आधार कार्ड में पिता का नाम फूंसियाराम है। अतः जमाबंदी सम्वत् 2075–78 हाल राजस्व रिकॉर्ड में वादी फतेहसिंह, प्रतिवादी महेशचन्द विजयमोहन के पिता का नाम फूंसिया उर्फ शिवचरन किया जाना उचित है। वादपत्र के समर्थन में फतेहसिंह, सियाराम एवं शिवचरन ने शपथपत्र पेश किये। अभिभाषक वादी की बहस सुनी गई अभिभाषक वादी ने बहस में वादपत्र के तथ्यों को दोहराया एवं निवेदन किया वादी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में शिवचरन के स्थान पर फूंसिया राम किया जावे क्योंकि वादी के अन्य सभी दस्तावेजों में वादी के पिता का नाम फूंसिया राम दर्ज है।

मेरे द्वारा विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली के साथ पेश राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्बत् 2075–78 एवं वादी द्वारा पेश अन्य शैक्षणिक दस्तावेज एवं सरपंच ग्राम पंचायत बारहमाफी के द्वारा पेश रिपोर्ट एवं तहसीलदार उच्चैन के द्वारा पेश जवाव एवं वादपत्र में पेश शपथ पत्रों का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा पेश समस्त दस्तावेजात में वादी के पिता का नाम फूसिया राम दर्ज है। सरपंच ग्राम पंचायत बारहमाफी एवं तहसीलदार उच्चैन के द्वारा वादी के पिता का नाम फूसिया राम होना बताया गया है जिसको गांव में शिवचरन बोला जाता था एवं फूसिया राम एवं शिवचरन एक ही व्यक्ति के नाम होना बताया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

अतः आदेश है:-

वादपत्र वादी डिक्री किया जाता है। खाता संख्या 191,195,196 चाक ग्राम दौलतगढ तहसील उच्चैन (मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2075-78) में वादी के पिता का नाम शिवचरन के स्थान पर फूसिया राम किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 05.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Bharti

भारती गुप्ता (आर०ए०एस०)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन भरतपुर

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix D-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम उच्चैन, भरतपुर

व इजलास सुश्री भारती गुप्ता (R.A.S.)

फतेह सिंह बनाम राजस्थान सरकार

दावा बाबत् धारा 88, 89 RTA

मुकदमा नं. 17/2024 सन्

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसालं कतई रू–ब–रू हमारे

व हाजरी श्री मुकेश चन्द शर्मा एड० मिनजानिब

मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता

है व डिकरी दी जाता है कि वादी का वाद्पत्र डिक्री किया जाता है एवं खाता खसरा 191, 195, 196 बाके ग्राम डौलगढ़ तह० उच्चैन (मुताबिक जमाबंदी संवत् 2075–78) में वादी के पिता का नाम शिवचरन के स्थान पर फूलिया राम किया जावे।

बाबत्

आज : मुबलिग फीसदी सालाना आज

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह का अदा करें।

की तारीख से तारीख बसूलयावी तक 05 माह 03 वर्ष 2025

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख

को जारी की गई।

दस्तखत Bharti

ओहदा उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)

मुहर

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुद्दालय	रुपये	पैसे
स्टाम्प अरजीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील)पर.........		
महनताना वकील)पर.........			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बावत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्मनामा					
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— सुश्री भारती गुप्ता (आर.ए.एस)

वाद पत्र क्रमांकः— 17/2024

फतेहसिंह पुत्र फूसियाराम उर्फ शिवचरन जाति खटीक निवासी दौतलगढ तहसील उच्चैन भरतपुर राज0। ....वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील उच्चैन भरतपुर। ....असल प्रतिवादी
2. उर्मिला देवी पुत्री पाहुप सिंह
3. गोपाल पुत्र रामजीलाल
4. चन्द्रकान्ता पुत्री रमेश चन्द
5. नवीन पुत्र रमेश चन्द
6. प्रभा कुमारी पत्नि स्व0 पाहुप सिंह
7. प्रेमशंकर पुत्र बाबूलाल
8. पवन पुत्र रोशनलाल
9. मधूसूदनसिंह पुत्र पाहुप सिंह
10. मुन्नी पुत्री शिवचरन
11. मनीष पुत्र स्व0 रमेश
12. महेन्द्रपाल पुत्र पाहुप सिंह
13. महेशचन्द पुत्र फूसिया राम उर्फ शिवचरन
14. महारानी पत्नि स्व0 फूसिया राम उर्फ शिवचरन
15. रतनसिंह पुत्र रामजीलाल
16. रेनू पुत्री बाबूलाल
17. रूपो पुत्री शिवचरन उर्फ फूसियाराम
18. राजेश पुत्र बाबूलाल
19. रामवती पुत्री रामजीलाल
20. विजय मोहन पुत्र फूसियाराम उर्फ शिवचरन
21. बीना पत्नि स्व रमेश चन्द
22. सुभाष चन्द पुत्र रोशनलाल
23. हरदेई पत्नि बाबूलाल समस्त जातियान खटीक निवासी दौलतगढ, उच्चैन।
24. लोकेन्द्र
25. किशोर पुत्रान तेजसिंह
26. गीता पुत्री तेजसिंह
27. प्रेम पत्नि तेजसिंह समस्त जातियान जाट निवासी दौलतगढ, उच्चैन।

...............तरतीवी प्रतिवादीगण

दावा अर्न्तगत धारा 88,89 आर.टी.ए.

Bharti

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)